झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/34/17– 113 ,राँची/दिनांकः 03/11/2017

बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 (B.Sc. Community Health Entrance Competitive Examination-2017) के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम् साक्षात्कार <u>(First Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना</u>

बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 जो दिनांक 16.07.2017 को आयोजित की गयी थी, का परीक्षाफल पर्षद द्वारा विज्ञापन संख्या – 84 के माध्यम से दिनांक 02.08.2017 को अधिकृत बेवसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर जारी किया जा चुका है। उक्त परीक्षाफल के आधार पर 3½ वर्षीय बी0एससी0 (सामुदायिक स्वास्थ्य) पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017–18 में नामांकन हेतु दिनांक 10.11.2017 को प्रथम् साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है जिसमें अर्हरित (Eligible) अभ्यर्थियों को मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर नामांकन हेतु औपबंधिक रूप से अनुशंसित किया जायेगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक सं0सं0–6/पी–(नई यो0)–25/16–39/स्वा0 दिनांक 13.09.2017 से प्राप्त निदेशानुसार साक्षात्कार Percentile के आधार पर आयोजित किया जाना है। तदनुसार कोटि–वार/कोटा–वार अर्हरित (Eligible) अभ्यर्थियों की संख्या/रैंक निम्नवत् है :–

क्रम सं0	कोटि	Minimum Percentile for Eligibility	प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अर्हरित अभ्यर्थियों की संख्या/रैंक
1.	सामान्य	50	458
2.	सामान्य दिव्यांग	45	03
3.	अनुसूचित जाति	40	51
4.	अनुसूचित जन–जाति	40	65
5.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1)	40	202
6.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2)	40	115

2. उक्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई आई0पी0एच0, नामकुम, राँची तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग में होगी जहाँ क्रमशः 60 एवं 40 सीटें हैं। अनुसूचित जन–जाति कोटि के लिये आरक्षित 26 प्रतिशत सीटों में से न्यूनतम 2 प्रतिशत सीटें आदिम जन–जातियों {असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सावर (हिल खड़िया सहित), माल पहाड़िया, परहैया एवं सौरिया पहाड़िया} के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

<u>3.</u> संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है। उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

4. साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन किया जायेगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ग)** बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति}, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–04–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र **(ड.)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) तथा **(च)** दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र तथा शरीर के एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में ''क्रीमी लेयर'' अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के वैसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो **उन्हें भी सीट/पाठ्यकम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन इस शर्त्त के साथ किया जायेगा कि वे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं /या जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लिये जाने की स्थिति में) संबंधित संस्थान में नामांकन की तिथि से दो माह के भीतर जमा कर देंगे। इस निमित्त उन्हें संस्थान में हलफनामा (Affidavit) जमा करना होगा।**

नोट (क) :– सिर्फ प्रवेश पत्र **(Admit Card)** गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन **(F.I.R.)** की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन मान्य नहीं होगा।

5. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

6. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 4 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आवंटन नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जायेगा।

7. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– साक्षात्कार शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज्ड डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर(Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (ख) :– साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

8. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन आदेश में अंकित रहेगा।

9. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

10. दिनांक 10.11.2017 को साक्षात्कार, कोटि–वार मेधा सूची (Category-wise Merit List) के अनुसार आयोजित की जा रही है। सामान्य कोटि में शामिल आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC–I/BC-II/Divyang अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन/समय अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे साक्षात्कार के दौरान ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

11. साक्षात्कार के दौरान अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर, पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र

अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षो तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

12. बी0एससी0 सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के आधार पर बी0एससी0 (सामुदायिक स्वास्थ्य) के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा:–**

Sl. No.	Category	CML Rank Range		CAT Rank Range		PH Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	From	To	From	To	
1.	As per PH Rank [Priority Code – 3]	-	-	-	-	1	3	10.11.2017/ 10:00 AM
2.	As per CML Rank	1	150	-	-	-	-	10.11.2017/ 10:00 AM
3.	As per SC CAT Rank	-	-	17	46	-	-	10.11.2017/ 01:00 PM
4.	As per ST CAT Rank			8	65	-	-	10.11.2017/ 01:30 PM
5.	As per BC – I CAT Rank	-	-	54	80	-	-	10.11.2017/ 03:00 PM
6.	As per BC – II CAT Rank	-	-	35	49	-	-	10.11.2017/ 03:30 PM

नोट (ग) :– सं0सं0–6/पी–(नई यो0)–25/16–520/स्वा0 दिनांक 23.10.2017 के आलोक में बी0एस0सी0 स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में केवल Locomotors Disability of Lower Limbs के नि:शक्त अभ्यर्थी ही दिव्यांग कोटा के सीटों के योग्य हैं।

13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के मेधाक्रम पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को सीट, पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन उनके मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

14. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वत: रद्द समझी जायेगी।

15. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के साथ विलम्ब से उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस समय/दिन पर उपलब्ध सीटों/पाठ्यक्रम/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

16. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अत: साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

17. **साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।** आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

18. **जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम संख्या इस विज्ञापन की कंडिका 12 में अंकित हैं, उन्हें इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस**

विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी इस सूचना के आधार मर ही निर्धारित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा।

19. चालू साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

20. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

21. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार,भा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./34/17 – 739
,राँची/दिनांकः 03/11/2017

प्रतिलिपिः–

परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/17

परीक्षा नियंत्रक